



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937

No. 242]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

सं. 3/2015

सा.का.नि. 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घक) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार को "अभिहित कारबार या वृत्ति करने वाला व्यक्ति" के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पी. 12011/3/2013—एस.ओ.(ई.एस. सेल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

No. 3/2015

G.S.R. 299(E).— In exercise of powers conferred by sub-clause (ii) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies a Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as a "person carrying on designated business or profession".

[F. No. P. 12011/3/2013-S.O.(E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

1755 GI/2015